

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 07.11.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-342/12 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के वारन्टी अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामप्रकाश निवासी थाना रावतपुर कानपुर नगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-521/24 धारा 115(2)/131/352/3(5)/324(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त राधा कृष्ण शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम नरिहा थाना अकबरपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-467/14 धारा 138 विधुत अधिनियम के वारन्टी अभियुक्त विजय शुक्ला पुत्र ओमकार नाथ शुक्ला निवासी ग्राम मंगटा थाना गजनेर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- ❖ थाना रनियां पुलिस द्वारा अ0सं0-220/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त इरफान पुत्र नासिर निवासी लहरपुर थाना रसूलाबाद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-450/24 धारा 80(2)/ 85 BNS व 3/4 DP एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार 2. सुंदरलाल पुत्र चूडामणि निवासी ग्राम गौर थाना भोगनीपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- ❖ थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अ0सं0-210/08 धारा 325/323/504/506 भादवि के वारन्टी अभियुक्त जगदीश पुत्र नेकराम निवासी मल्लाहनपुरवा थाना डेरापुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अमन सिंह पुत्र स्व0 अशोक सिंह निवासी ग्राम रामसारी थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर हाल पता ग्राम मायापुरम थाना गुजैनी जिला कानपुर नगर अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-522/24 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 19 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।